



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 28-अ0प्र0(2व)/पापक0लि0/2013-86202

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय छाप

उत्तरपोरेशन कार्यालय में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (दिव्युत एवं यांत्रिकी) को स्तन संख्या-३ में उन्नीतिहित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित जर स्तम्भ संख्या-४ के अनुसार नियम लौ आवृद्धि किया जाता है।

क्र० सं.	नाम/ वर्मिंगो/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान हौगारी का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवृद्धि नियम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गजेन्द्र गुप्ता 86202/अलोगढ 28-02-2020	अधिकारी अभियन्ता, लम्बद्व प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्द्रल दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड, मेरठ।	पूर्वांचल दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित अधिकारी संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनित्य नियंत्रण दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवृद्धि अधिकारी की तैनाती शास्त्र की द्वितीय समिति रो वॉल्ड अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रमाणी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित नियम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यालय से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पादर कारपोरेशन द्वारा नियंत्रण आदेश सं-5910-गोपन/पाकलि(16)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार उर्ध्वशी गोपनीय अड्डा फा ऊकन तथा स्वाक्षर का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 28(1) अ0प्र0(2व)/पापक0लि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अध्यात्म/प्रबन्ध निदेशक, कै निजी तथिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/असाजप्रिता) के निजी सचिव, २०प्र०पा०का०लि०/२०१०पा०ट्र०का०लि०, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्द्रल, आगरा/मध्यान्द्रल, लखनऊ/पूर्वांचल, बाराणसी/पश्चिमान्द्रल, मेरठ दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड/कोस्टा, कानपुर।

3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/नहा प्रबन्धक, २०प्र०पा०का०लि०/२०१०पा०ट्र०का०लि०।

4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटरइंजीनियर हकार्ड, २०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।

5- समस्त संयुक्त तत्त्वज्ञ, २०प्र०पा०का०लि०/२०१०पा०ट्र०का०लि०, रायपुर नवन, लखनऊ।

6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), २०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।

7- अधिकारी अभियन्ता (वेब), २०प्र०पा०का०लि०, कनरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।

8- अनु सचिव(गोपन), २०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- सम्बन्धित अधिकारी/देयक्रियक पत्रावली/फट काइल/नोटिस बोर्ड।

क्र. ५५९०/प्रक्रियालय भिरठ/ए.ड.जी.

दि० ०६.०७.२०१३

आज्ञा से,

(स्थानन्द दीक्षित)

उप सचिव

प्रक्रियालय भिरठ की द्वारा दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड के साथ
किए द्वारा नियमित अधिकारी को तत्काल विद्युत वितरण नियम लिमिटेड के साथ
द्वारा दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड की विद्युत वितरण नियम लिमिटेड के साथ
द्वारा दिव्युत वितरण नियम लिमिटेड के साथ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-आशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 29-अ0प्र0(2ब)/पाकाठली0/2013-86178

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वाचा निम्नांकित अधिकारी (वैधुत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्रमांक	नाम/ अभियंता/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक कुमार जैन 86178 / यात्राबंकी 31-03-2019	अधिकारी अभियंता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, परिषदमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नेरठ।	पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुज्ञा है।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्वीय समिति से वोचित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का वायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यकार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यनुकूल की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश तंत्र-5910-पोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आस्था का अंकन तथा स्वाकं न करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 29 (1) अ0प्र0(2ब)/पाकाठली0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/सनस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पाठकाठली0/उ0प्र0पाठद्राठकाठली0, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्ध्र, वाराणसी/परिषदमान्चल, नेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/योर्सो, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1)/मुख्य अभियंता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक उ0प्र0पाठकाठली0/उ0प्र0पाठद्राठन्समिशन काठली0।
- मुख्य अभियंता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ0प्र0पाठकाठली0, लखनऊ।
- समस्त सयुक्त सचिव, उ0प्र0पाठकाठली0/उ0प्र0पाठद्राठकाठली0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पाठकाठली0, लखनऊ।
- अधिकारी अधियंता (वेब), उ0प्र0पाठकाठली0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पाठकाठली0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सन्दर्भान्त अधिकारी/दैवितिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

रुप 5491/पवि/विनिलि । मेरुस/एस्ट्रेलि।

आज्ञा से,

प्रतिलिपि- निदेशक (वापिसी) परिविनिर्माण 06.07.2013 (सत्यानन्द दीक्षित)
मेरठ की इसे आश्रय के साथे प्रेषित किए स्थानान्तरित
अधिकारी की स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काले कार्यभूमि
करना सुनिश्चित किए।



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: ३०—अ०प्र०(२८) / पा०का०लि० / २०१३-७८०३

दिनांक: ०५ जुलाई, २०१३

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्थान संख्या-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्थान संख्या-४ के अनुसार निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभियन्ता/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(१)	(२)	(३)	(४)
१	श्री सतीश कुमार अग्रवाल ७८०३१ / देहशहरू ३१-१२-२०१३	अधिकारी अभियन्ता (सं०) विद्युत वितरण नण्डल, गाजियाबाद।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

२- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुसर हैं।

३- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्थीय समिति से वैष्णव अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रमाणी स्थानान्तरण नीति के अनुसर करने का वायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

४- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यालय से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

५- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आर्था का अंकन तथा रकानं का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ३० (१) अ०प्र०(२८) / पा०का०लि० / २०१३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/सनस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, लखनऊ।
- २- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, नेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केरलो, कानपुर।
- ३- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य नहा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, उ०प्र०पा०का०लि०, उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, लखनऊ।
- ४- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ५- समस्त लंयुक्त भावित, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ६- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ७- अधिकारी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ८- अनु सचिव(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ९- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० ५४९२। प्रीविलिलि गिवा रुप०-४५१०

आज्ञा से,

दि० ०६.०७.२०१३

प्रीविलिलि मुख्य अधिकारी, गाजियाबाद/
सदासलपुर को इस निवेश के साथ प्रेषित की
स्थानान्तरित अधिकारी को स्थानीय प्रबन्धक द्वारा
नाला का जारी मुक्त जाना हुआ रखित की।

सत्यानन्द दीक्षित
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 31-अ0प्र0(2व)/पाकालि0/2013-86197

दिनांक: 06 जुलाई, 2013

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्पोरेशन ने एतद्वारा निम्नानित अधिकारी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-३ में उल्लिखित कार्यालय / स्थान से स्थानान्तरित कर रस्तम संख्या-४ के अनुसार निगम को आवण्डित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अग्रिमो/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय / स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ऋषि कुमार अग्रवाल 86197/आगरा 28-02-2018	अधिकारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-२, मेरठ।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुसार है।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती छासन की द्विसदस्तीय समिति से वॉछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुसार करने का वायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्पोरेशन से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक 11-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आद्या का अंकन तथा स्वाक्षर का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 31 (1) अ0प्र0(2व)/पाकालि0/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नानित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी तथिय/समर्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/कोस्टो, कानपुर।
- समर्त नुस्ख्य अभियन्ता (त्तर-१)/नुस्ख्य अभियन्ता (त्तर-२)/नुस्ख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि० का०लि०।
- नुस्ख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- समर्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ठप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- अधिकारी अभियन्ता (वैश), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/फट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० ५४९३/पवि/विनी/ली/झै/एस०लै, तिथि २६.०७.२०१३

आज्ञा सं.

घुलिगियि सुरम्य अधियन्ता भेठ कीज
को इस निर्देश के क्षमा ऐप्पिल कि स्थानान्तरित
अधिकारी को घानीप्रक्षेप्ता द्वारा तत्काल कार्यभूमि
करना सुनिश्चित करे।

२०२०-७-२०१३
(स्थानान्तर दीक्षित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पादर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: ३२-आप्र०(२६) / पाठ्कालिक / २०१३-९२०३२

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय छाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अविशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यानिकी) को स्तम्भ संख्या-३ में उल्लिखित कार्यालय / स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-४ के झनुसार निगम को आवाहित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभियंता०/गृह जनपद सेवानिवृति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आविष्ट निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रतन पाल 82032 / गाजियाबाद 30-11-2020	आधिकारिक अभियंता, सम्बद्ध विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरदाबाद।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तानाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्दिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित दिनद्वयों के अनुरूप है।

3- आविटि अधिकारी की तैनाती शासन की हिंसदर्यीय समिति से बौछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सन्मिलित नियम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दर्थित होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-5910-गोपन/पाकालि(06)-2301 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार पार्विक नैपनीय आख्या का अंकन तथा स्थाकें फा प्रस्तौतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ३२ (१) अ०प्र०(२३) / पा०का०लि० / २०१३ तददिनांक

मुत्तिहिंसा निराकृष्ण ज्ञो सद्यनर्थ एवं आपश्वेत ज्ञानधारी हेतु प्रेषित-

अवधारणा/प्रबन्ध निदेशक, के नियोग समिति/समरत निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/असाजपत्रित) के नियोग समिति डिप्टी प्रोफेसरोंका लिए/डिप्टी प्रोफेसरोंका लिए लक्ष्यनकार।

2- प्रबन्ध निदाशक, दक्षिणांचल, आंगरा / मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, नेहरू यिद्युत वितरण निगम लिमिटेड / केरल कानपुर।

३— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१) / मुख्य आभियन्ता (स्तर-२) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उपप्रबन्धकालिका / उपप्रबन्धकालिका विभाग कालिका।

4- मरण अभियन्ता कम्पटस्टेशन हकार्ड उपभोगकाली। लखनऊ।

५ सनस्ता संयुक्त चिपिव, दृष्टप्राप्ताकालिका/दृष्टप्राप्ताकालिका शक्ति रहने लगती है।

6- उप महा प्रदक्षिण (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (प्रत्यन् एवं लेखा) जापानीकालिंग लक्ष्मदक्ष।

7- अधिशासी अभियन्ता (वैद), उ०प्र०प्र०का०लि० कमरा नं०-४०७ शहिर भवत लखनऊ।

8- अनु सचिव(गोपन), उत्तरायणकालीन, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक मत्रावली/कट फाइल/नोटिस

First - Second

३४

पं० 5494। परिविनालि ग्रंथो। (एक-त्रयी)

०६.०७.२०१३ (सत्यानन्द दीक्षित)

पुलिसीपि मुख्य अधिकार्यता) (विं) मरावलारा दिनः ०६.०७.२०१३ (सत्यानन्द दीक्षित) उप सचिव

क्षेत्र की इस नियति के साथ प्राप्ति की

ପ୍ରାଣାନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କାଙ୍କ ଜ୍ଞାନିଯୁ ଗାଵାନ୍ତା ହେ
ଦଳଙ୍କର ଜ୍ଞାନଭୂତ କାଳୋ ସ୍ମୃତିରେ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: ३३-अ०प्र०(२८) / पा०का०लि० / २०१३-९६००३

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संथा-3 में उल्लिखित कार्यालय / स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संथा-4 के अनुसार निगम को आवधित किया जाता है।-

क्र० सं०	नाम/ अमितसौ/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय / स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवृद्धि निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अखिलेश कुमार 96003 / आगरा 31-07-2030	अधिकारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण उपाय-1, सहारनपुर।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सरोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3— आवंटित अधिकारी की दैनन्दी शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन एवं प्रगाधी स्थानान्वयन नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का ढोगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था हारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित होगा कि यह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5010-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आँखों का अंकन तथा स्वाकंन शा प्रस्तूतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ३३ (१) अप्र०(२ब) / पाठकात्तिल० / २०१३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आदरश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्ययन/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रिक) के निजी सचिव उत्तरपात्रका लिंग/उत्तरपात्राका लिंग लेखनकर।

2- प्रदूषक, निर्देशक, वसिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत पित़रण निगम हिमिटेड/फेरको, कानपुर।

३- समस्त नुस्खा अभियन्ता (स्तर-१) / नुस्खा अभियन्ता (स्तर-२) / नुस्खा महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, डॉप्रोफाक्यूल्यू / डॉप्रोफाट्टन्समिशन कामात्ति।

4- मुख्य अभियन्ता, फ़स्टट्राइज़ेशन इकाई, उत्प्र०प्र०काप्लि० लखनऊ।

5- सनस्त संयक्त संचिव, उपप्र०पा०काप्लि०/उपप्र०पा०टा०क्ला०लि० इस्ति भवते लालनाम्।

6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी वित्तन एवं होमेजी उपराषायाकारी लग्नक।

7- अधिशास्ती अभियन्ता (देव), उम्रोपाटकोलि०, कमरा नं०-४०७, शक्ति सवन लखनऊ।

8- अनु संधिव(गोपन), ७०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

सं. ५४९६/ पाकिस्तानी ले / मेरठ/ राज्य ले, दिन: ०६.०७.२०१३ जागा सं.
२०००
७१८००२
प्रतिलिपि मुख्य अधिग्रन्थ समालिप्त कर्ता (सत्यानन्द दीक्षित)
इस किंदश के सामूहिक वंश के स्थानान्तर आवेदनारी ले
इसानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल व्यार्थमुद्देश करना सुनिश्चित-
करें। उप सचिव

१५४



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 34-अ0प्र0(2ब) / पाठकागलि० / 2013-92061

दिनांक: 05 जूलाई, 2013

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारी अनियन्त्रा (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय / स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-4 के अनुसार निगम को आवश्यित किया जाता है:-

क्र० सं	नाम / अग्रिमसं०/ गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान लैनाती का कार्यालय / स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवृत्ति निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रमाकर सिंह 92061 / एटा 31-12-2026	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौली।	पूर्वोन्धर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- 2- उक्त टैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में साननीय तर्योच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवटित अधिकारी की टैनाती शासन की द्विसदस्थीय समिति से बौछित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रगाढ़ी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवनुकूल कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुकित की तिथि को नावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-591C-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तृतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ३४ (१) आम्रप०(२३) / प्रांतकारिता०/२०१३ तदुदिनाक

प्रधानमंत्री विद्युतीकरण को समर्पित एवं आवृद्धक सांसदाओं द्वारा प्रेषित-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अशाजपत्रित) फ़े निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, लखनऊ।
 - प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/नव्यान्चल, लखनऊ/पूर्वांचल, बाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, फ़ानपुर।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०न्समिशन ला०लि०।
 - मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटरइंजीनियर इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 - समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - उप नहा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
 - अधिकारी अभियन्ता (वैद्य), उ०प्र०पा०का०लि०, कक्षा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अन्य सचिव(गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्राबली/कट फाइल/नोटिस बाई।

प्रा. 5496 अधिकारी/महिला/जेरना एवं ज्ञानीय दिन 06.07.2013

二三

मुत्तीलिपि मुख्य अभिभवनां (विं) उत्तरादाकाद् (सत्यानन्द दीक्षित) ग्रन्थामृत
को इस लिखित के स्थाप उष्टुष्टित लिखा गया तरीके
अधिकारी को खानीपुर व्यवस्था छार ताल्लुल कार्यभूमि
करना पुनिर्ज्ञात कीरा



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 35-आप्र०(२ब) / पाका०लि० / 2013-9801

दिनांक: 05 जुलाई 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (जानपद) को स्तम्भ संख्या-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से रथानान्तरित कर स्थान संख्या-४ के अनुसार निगम को आवणित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/ अभियन्ता०/गृह जनपद सेवानिवृति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शील चन्द्र 9801 / मेरठ 31-03-2015	अधिकारी अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मुशादाबाद।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

- 2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में भानीय सुर्योच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुसुप्त हैं।
 3— आवटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्तीय समिति से बोधित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
 4— उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
 5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5910-पोपन/पाका०लि०(०६)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार यार्पिका गोपनीय आख्या का अफन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 35 (1) आप्र०(२ब) / पाका०लि० / 2013 तबदिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषितः-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/असाधारित) के निजी सचिव, ३०प्र०पा०का०लि० / ३०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/परिचमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक ३०प्र०पा०का०लि० / ३०प्र०पा०ट्रान्कामेशन का०लि०।
- मुख्य अभियन्ता, कन्यूटशाइजेशन इकाई, ३०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- समस्त संयुक्त सचिव, ३०प्र०पा०का०लि० / ३०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वितन एवं लेखा), ३०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- अधिकारी अभियन्ता (वेब), ३०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं-००७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), ३०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सचिवित अधिकारी/वैयक्तिक पत्राबली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

सं. ५५७ / कवित्यालीलि०/मे०ट०/एस.ओ०. दि०. ०६.०७.२०१३
 प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता०/जानपद०)
 प० वि० वि० नि० लि०. मे०ट० कौ० इ० स॒० नि० लि० कौ०
 सामू शेषित कौ० रुमा० गा० न॒० त॒० त॒० कौ० ल॒० ल॒० ल॒०
 ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒०
 ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒० ल॒०

(स्थानान्तरित)
उप सचिव



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति मवन, 14-आशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: ३६-आ०८०(२४) / पाठ्यकालिक / २०१३-१२१३५

दिनांक: 05 जूलाई, 2013

कार्यालय झाप

कारपोरेशन कार्यहित में एलदब्बारा निनाकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एं गान्धी) को रहम भावा-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर साम्ब संस्थान-४ के अनुसार निगम जो आवधित किया जाता है—

क्र० सं०	नाम/ अमित्सं०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान सेवाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आविष्ट निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
१	श्री भृष्ण चन्द्र ९२१३५/इटावा ३१-१२-२०२५	अधिकारी अमित्यना, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, परिवासन्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।	पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

2- उक्त टैनानों आदेश जनहत याचिका तंत्र्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनिम्न निर्णय दिनोंपर 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवित अधिकारी की तैनाती शासन की हिस्सेवायी समिति से डॉक्टर अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित नियम कर गोगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा रात्काल जबन्मका कर दिया जाए।

५- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि रथानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पाद करते होए द्वारा निर्गत आदेश सं-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-८-२००१ के अनुसार दर्तक गाठनीय आलोक का अकल तथा स्पाकन का प्रस्तौतीकरण सुनिश्चित रहता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ३६ (१) अप्र०(२३) / पाठकात्तिल० / २०१३ तददिनांक

प्रतिविमि विनाकित लो सहनार्थ एवं आपदाकृ लोकेन्द्री हैत प्रेषित-

- अव्याकृ/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपरा सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अरायापालिं) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रोका0लि0, लखनऊ।
 - प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा/मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, दारागंगी/परियामांचल, मेरठ विधुत विभाग निगम लिमिटेड/केरको, कानपुर।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रोन्सिशन का0लि0।
 - पुण्य अभियन्ता, कम्प्यूटरइंजीनियर हाकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रोका0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - उप महा प्रबन्धक (लेखा प्राचारासन)/लेखा अधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 - अधिकारी अभियन्ता (वैद्य), उ0प्र0पा0का0लि0, काशी नो-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - अनु तत्विव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

सं० ५४९८। यावेकिनि ली अस्त्र॒। ए०. कृ॒।

300

06.07.2013

२०२३-
०९/०१/२०२३
(सत्यानन्द दीक्षित)
उप संस्था

पुती लीषि अव्वीकृष्ण) अग्रिमन्त्र (मुख्याकृष्ण) पा.
पर्वती कृष्ण निलंबित मेरठ को इस नदी के नहीं
हाथ पुष्टि कि द्याना-न्तरि ते जायिन्गारी को
स्थानीय व्यवाख्या हारा तत्त्वाल कार्यमुद्देश करा उनीष्ठित
कर।

17 1976

१०८

03/27/2007 13:18 89222288418



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शवित भवन, 14-आशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 37-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2013-89039

दिनांक: 05 जुलाई, 2013

कार्यालय शाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी समियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को स्थान शंख्या-३ से उत्तराखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्थान संख्या-५ के जनुरार निगम को आवंटित किया जाता है—

क्र० सं०	नाम/ अभियंस०/गृह जनपद सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित निगम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आलोक कुमार गोपल 89039/बागरा 30-06-2024	अधिकारी समियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, गुजरातरनगर।	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प्रशासनिक आधार पर)

2- उक्त तैनाती आदेश जनाहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निषेध दिन के 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती शासन की द्विसदस्यीय समिति से नांगित अनुमोदन प्राप्त कर कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व जन्मित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यालय से स्थानीय व्यवस्था द्वारा लक्षण जन्मुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी आवंटित की तीव्र को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्वाचित आदेश सं0-5910-गोपन/याकृति(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आद्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 37 (1) अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही इन्तु प्रविष्टः—

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सदिय (प्रथम/द्वितीय/हृतीग/अलाजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रोका0लि0, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाञ्चल, आगरा/मध्याञ्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, याराणसी/पश्चिमाञ्चल, करठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केंद्रो, कानपुर।
- समस्त नुस्खा अभियन्ता (संख्या-१)/मुख्य अभियन्ता (संख्या-२)/मुख्य महाइस्त्रिय/महा प्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रो-समिश्न का0लि0।
- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटरशैक्षणिक इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- समस्त संधुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रोका0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / संस्था अधिकारी (देतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- अधिकारी अभियन्ता (विव.), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा न०-५०७, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव(गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/एट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आशा है,

सं. 5499/प्रक्रियालै/मिठौ/स्थानपुर क्र. दित. 06.07.2013

प्रतिलिपि मुरब्ब औचियन्ता, सहानुपुर क्रिया (संतानान्द मीडिया)
को इस जाश्न- को साथ को स्थानान्तरित आयि करि
को स्थानान्तरित आयि करि
सुनिश्चित करि।